


20/6/22

वकील वादी उषण वकील वादी को प्रतिवादीगण की तली हेतु अनेक अवसर प्रदान किए गए थे, उसके उपरोक्त भी तली नहीं हुआ। दिनांक 23/11/22 को प्रतिवादीगण की जरिए Registered तली हेतु आदेश दिए गए थे। उसके बाद भी आज दिनांक तक प्रतिवादीगण की तली हेतु चलबारा भी पेश नहीं किया। इससे प्रतीत होता है कि वादी ने अजह न्यायालय समय व्यर्थ करने के उद्देश्य से वाद पेश किया है। अतः मादी को बाद अंशगत आदेश 009 R05 के तली के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फिलहाल शुभ्रा है, डॉक नम्बर से कम होकर कार्यालय दर्ज है।


 सहायक कलक्टर
 कोटपुखली (जयपुर)